

Duplicate Copy

03-Dec-2021

आदेश

तिथि

Dec 2 2021

आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा श्यामगंज कास्टर टाउन थाना देवघर

खाता	प्लॉट	रकबा
54/3217/1	775	0 एकड़, 5.73 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती प्रीति सिंह राय	पति	गणेश चन्द्र सिंह राय
श्रीमती आरती राय चौधरी	पति	शरत चन्द्र राय चौधरी
श्रीमती भास्वती कोनार	पति	देव प्रसन्न कोनार

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1020 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
प्रीति सिंह राय	पिता	स्व० कमला प्रसाद राय
श्रीमती आरती राय चौधरी	पिता	स्व० कमला प्रसाद राय
श्रीमती भास्वती कोनार	पिता	स्व० कमला प्रसाद राय

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि असर्वेक्षित वसौड़ी सत्व की है जिसपर आवेदिका निबंधित विक्रय पत्र संख्या 1020 दिनांक 24/10/2019 द्वारा क्रय कर हाता के रूप में दखलकार हैं। अतः दखल एवं दलील के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुसंशा, निबंधित दलील, दखल एवं न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार देवघर के दाखिल खारिज अपील वाद सं R 6/2021-22 के आदेश के आधार पर नामान्तरण वाद स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान **60 रुपये**

स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

MOTI LAL HEMBROM

अंचलाधिकारी देवघर

8/12/21
220
OF P. HARKHANT